

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

4

फर्द अहकाम

गैरसाधन को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फात्राया
 जीव / वकील अपाधी ने वहस में कफन फिया कि
 गैरसाधन जं. 2 क्षीयते भोलाने रजिस्टर्ड विद्युप फा
 से श्रीमि ड्य की हैं हिस्सादुसाप खोतेदा (काशतका)
 है इसलिए गर्धी का गर्धना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
 खोजि फात्राया जीव / वकील उग्रय पक्ष की वहस
 पा मसन विधा पत्रावली का भावलोन रिषा।
 गुप्त नंगल शेरपुर की श्रीमि खं. नं. 37, 365, 366, 1548
 में साधन शून खोतेदा हैं। गैरसाधन खरीदक सह
 खोतेदा दुई हैं। इसलिए दिनांक 1.6.12 को जारी की
 गई अंतीम अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा फैसला
 होने तक कन्फर्म विधा जाता उचित प्रतीत होता
 है अतः दिनांक 1.6.12 को जारी की गई
 अंतीम अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के फैसला
 होने तक कन्फर्म विधा जाता है तथा गैरसाधन
 को पाबंद विधा जाता है कि गुप्त नंगल शेरपुर
 स्थित श्रीमि खं. नं. $\frac{37}{0.28}$, $\frac{365}{0.18}$, $\frac{366}{0.20}$, $\frac{1548}{0.20}$ में

साधन के हिस्से व कब्जे काशत में मजामहत
 व बचान नही हो। पत्रावली फैसल श्रुतार होकर
 नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ
 संलग्न रहे।

